प्रेस विज्ञप्ति

12/2/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लैट के संभावित क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर, ललित टेकचंदानी से संबंधित मुंबई और नवी मुंबई में स्थित 22 स्थानों पर 07/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी की है। तलाशी अभियान में 30 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और बैंक में जमा राशि/एफडीयां जब्त/ फ्रीज़ किया गया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो प्राथमिकियों(एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि टेकचंदानी और अन्य के प्रतिनिधित्व की कंपनी मैसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवासीय परियोजना में घर के संभावित खरीदारों से भारी धनराशि एकत्र की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण ये घर क्रेता बिना फ्लैट या रिफंड के अधर में लटक गए। प्रारंभिक पीएमएलए जांच के दौरान यह भी पता चला है कि बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए घर क्रेताओं से प्राप्त धनराशि की हेराफेरी की।

ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान, 27.5 लाख रुपए नकद और टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर बड़ी संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान 29.73 करोड़ रुपए अंकित मूल्य की एफडीयों के विवरण का भी पता चला और विभिन्न बैंकों में खोलें गए इन एफडी खातों को फ्रीज कर दिया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।